पट्टा वित्त योजना

1. उद्देश्य

विद्युत और संबन्धित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनिवार्य प्रमुख पूंजी उपकरण /मशीनरी का वित्तपोषन करना ।

2. पात्र इकाइयां

सभी सह-उत्पादन संयंत्रों सहित विद्युत और संबन्धित बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगी सभी विद्युत इकाइयां / सुविधाएं/राज्य/केंद्रीय इकाई को चूककर्ता घोषित नहीं होना चाहिए । राज्य / केन्द्रीय से अन्य इकाई के संबंध में इसे किसी वित्तीय संस्था / बैंक अथवा पीएफसी सहित किसी अन्य उधारदाता का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

3. पट्टा मूल्य

प्रत्येक पट्टा सौदे का मूल्य 10 करोड़ रूपये से कम नहीं हो।

4. सहायता की सीमा

सुधार करने वाली इकाइयों के लिए -परियोजना लागत के 80% और अन्य इकाइयों के लिए परियोजना लागत के 70% तक।

5. अवधि

प्राथमिक पट्टा अवधि -किराया आरंभ होने की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं।

माध्यमिक पट्टा अवधि -पट्टेदाता और पट्टेदार की पारस्परिक सहमति से होगा और सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

6. किराया और अन्य प्रभार

पट्टा किराया :

प्राथमिक अवधि - इस तरीके से निर्धारित की जाएगी कि लागू पट्टा कर सहित लागत पट्टेदार को समान परियोजना के अवधि ऋण के मामले में लागू उसी प्रकार की इकाई के बराबर हो।

माध्यमिक अवधि -उपकरण की मूल लागत का 0.5% (प्रति वर्ष)

पट्टा प्रबंधन शुल्क (अप्रतिदेय) समय-समय पर लागू नीति के अनुसार वसूल किया जाएगा।

प्रोसेसिंग शुल्क , अवधि ऋणों पर लागू नीति के अनुसार वसूल किया जाएगा।

7. प्रतिभूति आवश्यकताएँ

राज्य / केंद्रीय विद्युत सुविधाएं :

निलंबलेख (एस्क्रो)में पीएफसी कि लागू नीति के साथ इन लाइनपट्टा करार के अंतर्गत देय पूरे बकाया का भुगतान कवर करना के लिए ।

इस बारे में शपथपत्र कि जिस भूमि पर पट्टे पर लिया गया उपकरण स्थापित किया जाना है, उसे पट्टेदार, पट्टेदाता की पूर्व अनुमति के बिना बंधक नहीं रखेगा या नहीं बेचेगा।

प्राइवेट विद्युत सुविधाओं के लिए

(1) या, पट्टा करार के अंतर्गत देय पूरे बकाया के भुगतान को कवर करने हेतु पूर्ण पट्टा अवधि के लिए अपरिवर्तनीय और आवर्ती (रिवोलविंग)बैंक गारंटी ।

या

(1) अन्य परिसंपत्तियों पर प्रभार के साथ निलंबलेख (एस्क्रो) खाता।

(2) जिस भूमि पर उपकरण स्थापित किया जाना है , उस भूमि को बंधक रखना

और

(3) निगम द्वारा आग्रह की गई कोई अन्य प्रतिभूति , जैसा कि मूल्यांकन के दौरान निर्धारित किया गया हो।